न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 03 / 113 / 2018

1. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी बॉदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

.... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित : श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एडवोकेट :– प्रार्थी

निर्णय दिनांक 18.10.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेंश कर निवेदन किया की प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल ख0नं0 2181 / 2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता है। उक्त आराजी का साबिक ख0नं0 1282 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दर्ज था। तथा आराजी पर हमेशा काश्त होती रही है। यह है कि बन्दोबस्त सम्वत् 2046–2065 वाके ग्राम खोह का हुआ तो उसमें बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने रिकार्ड व मौके के खिलाफ जाकर हाल आराजी ख0नं0 2181 / 2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 को गलत तौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर कही पर भी रास्ता नही है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार खिलाफ मौका इन्द्राज परिवर्तन कर रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही था। इस प्रकार गलत इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे है। और इस प्रकार की गलती पैन और सीलिप की गलती है और इसे एक किलेरिकल ॠुटि माना जाता है। तथा इससे कोई इन्द्राज पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर हाल आराजी ख0नं0 2181 / 2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ पर से किस्म गै0मु0 रास्ता के इन्द्राज को हटाया जाकर पुराने रिकार्ड साबिक ख0नं0 1282 के मुताबिक किस्म बारानी दर्ज करने का निवेदन किया। पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2075 खाता संख्या 502 वाके ग्राम खोह खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069 से 2072 नक्शा ट्रेस हाल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 जमाबंदी सम्वत् 2038 की नकल पेंश की गई।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ से जॉच रिपोर्ट तलब की गई।

आज पत्रावली पर वकील प्रार्थी के आग्रह पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये उल्लेख किया की साबिक ख0नं0 1282 जिसका रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खोह मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2038 के इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी की किस्म बारानी सोयम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अनुसार साबिक ख0नं0 1282 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा से हाल ख0नं0 2181 / 2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह बना है। पुष्टि में मिलान क्षेत्रफल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्वत् 2046 की नकल पेंश की है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–2075 खाता संख्या 563 वाके ग्राम खोह के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल ख0नं0 2181/2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 जो कि सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है और उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित है से स्पष्ट है कि उक्त आराजी की साबिक किस्म बारानी सोयम थी। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत् 2046 मे गलती से किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज गलत है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट जो पत्रावली पर संलग्न है में स्पष्ट किया है कि भूमि मौके पर काश्त योग्य है। तथा मौके पर कोई रास्ता नही है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जा रही है। इससे भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्यो की पुष्टि होती है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज गै0मु0 रास्ता का साबिक के विपरीत दर्ज किया है वह एक पैन और सीलिप की गलती है। इसे एक किलेरिकल ॠुटि माना जाता है। इससे और कोई इन्द्राज पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने निवेदन किया गया है।

मैने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2069–2075 खाता संख्या 563 वाके ग्राम खोह के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल ख0नं0 2181/2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 जो कि सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2038 के अंकित इन्द्राज के अनुसार साबिक ख0नं0 1282 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खोह की किस्म बारानी सोयम अंकित है तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अंकित इन्द्राज के अनुसार यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि हाल ख0नं0 2181/2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 साबिक ख0नं0 1282 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खोह से बना है। इस प्रकार साबिक व हाल रिकार्ड से यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि बन्दोबस्त विभाग सम्वत् 2046 द्वारा साबिक के मुताबिक हाल आराजी ख0नं0 2181/2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 की किस्म बारानी सोयम दर्ज नही कर गै0मु0 रास्ता दर्ज किया है जो इन्द्राज साबिक इन्द्राज के विपरीत साबित है। जबकि बन्दोबस्त विभाग को साबिक के अनुसार ही आराजी की किस्म बारानी सोयम दर्ज करनी चाहिये थी। इस प्रकार की गलती एक पैन और सीलिप की गलती है। इसे एक लिपिकीय त्रुटि माना जाता है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट में भी जैसा स्पष्ट किया है कि भूमि मौके पर काश्त योग्य है तथा मौके पर कोई रास्ता नही बल्कि सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जा रही है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि आराजी पर मौके पर कोई रास्ता भी नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज साबिक व हाल तथा तहसीलदार राजगढ की मौका रिपोर्ट से होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हाल ख0नं0 2181/2885 रकबा 1.14 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसीलद राजगढ स्वीकार किया जाता है। हाल रिकार्ड जमाबंदी में उक्त आराजी की अंकित किस्म गै0मु0 रास्ता को हजफ किया जाकर किस्म बारानी सोयम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। प्रार्थी उक्तानुसार हाल रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता को हजफ कराकर बारानी सोयम किस्म दुरूस्त कराने के अधिकारी है। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)